"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001"

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2005—वैशाख 2, शक 1927

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

दुर्ग, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 637/प्र.वि.अ./2004.— चूंकि मैनेजिंग ट्रस्टी स्वर्गीय सेठ मिठालाल राठी, चेरिटेबल गंजपारा, दुर्ग तहसील-दुर्ग जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951, (195) का 30 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया है एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19-10-04 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो सूचना उसे लोक न्यास को देना है जो गठन करती है.

अत: मैं रमेश शर्मा, पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 19/10/04 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के 1 मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(1)	लोक न्यास का नाम	:	स्व. सेठ मिठालाल राठी, चेरिटेबल गंजपारा दुर्ग
(2)	लोक न्यास की संपत्ति	:	निरंक

प्रारूप–चार

[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

दुर्ग, दिनांक 26 अगस्त 2004

क्रमांक 504/प्र. वि. अ./2004.— चूंकि मैनेजिंग ट्रस्टी/सेटलर आयुष्मान फाउन्डेशन सुपेला भिलाई निवासी-भिलाई, तह. दुर्ग, जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (195) का 30 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24-09-2004 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो सूचना उसे लोक न्यास को देना है जो गठन करती है.

अत: मैं रमेश शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 24-9-2004 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के 1 मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(1)	लोक न्यास का नाम	:	आयुष्मान फाउंडेशन, भिलाई
(2)	लोक न्यास की संपत्ति	:	रुपये पांच हजार

रमेश शर्मा,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छ.ग.

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पाटन, दिनांक 30 अक्टूबर 2004

पंजीयक, लोक न्यास, पाटन, जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 1555/प्र.1/2004.— चूंकि गायत्री परिवार ट्रस्ट, निवासी देवबलौदा, तहसील दुर्ग जिला दुर्ग ने छ.ग. पब्लिक लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 31-01-2005 को विचार के लिए लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं एम. आर. भारद्वाज, लोक न्यास पाटन, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 31-01-2005 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का वर्णन)

(1) लोक न्यास का नाम और पता : गायत्री परिवार ट्रस्ट, ग्राम देवबलौदा, जिला दुर्ग

(2) संपत्ति का विवरण : ख. नं. 371/1 रकबा 0.77 हे.

आज दिनांक 30-10-2004 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पाटन, दिनांक 30 अक्टूबर 2004

पंजीयक, लोक न्यास, पाटन, जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 1555/प्र.1/2004.— चूंकि जे. मेमोरियल ट्रस्ट, निवासी अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग ने छ.ग. पब्लिक लोक न्यास अधिनियम 1951, (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 31-01-2005 को विचार के लिए लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं एम. आर. भारद्वाज, पाटन लोक न्यास, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायाल में दिनांक 31-01-2005 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित ज़ांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास सा संम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का वर्णन)

(1) लोक न्यास का नाम और पता : जे. मेमोरियल ट्रस्ट, ग्राम- अमलेश्वर,तहसील पाटन, जिला दुर्ग

(2) संपत्ति का विवरण : ख. नं. 773 रकबा 0.54 हे.

आज दिनांक 30-10-2004 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एम. आर. भारद्वाज,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

न्यायालय, कलेक्टर एवं पंजीयक लोक न्यास, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रारूप- 4
[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1959 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, महासमुन्द जिला के समक्ष

महासमुंद, दिनांक 25 जनवरी 2005

क्रमांक/43/461/क/वाचक/2005.— चूंकि नरसिंह प्रसाद दुबे आत्मज श्री लक्ष्मण प्रसाद दुबे जाति ब्राम्हण निवासी बसना तहसील बसना जिला महासमुन्द ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1959 (1959 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 14-2-2005 को विचार के लिये लिया जायेगा. कोई व्यक्ति को जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं पंजीयक लोक न्यास जिला महासमुन्द का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 14-2-2005 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में

लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	गायत्री शक्ति पीठ बसना, तहसील बसना, जिला महासमुंन्द. [मुख्यालय-गायत्री शक्ति पीठ, शांति कुंज, हरिद्वार (उत्तरप्रदेश)]
(2)	संपत्ति का विवरण	:	(1) ग्राम बसना प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. व तहसील बसना जिला महासमुन्द स्थित भूमि ख. नं. 122/2 क्षेत्रफल 9900 वर्गफुट. (2) गायत्री शक्ति पीठ बसना का मंदिर 19 कमरा, चौहद्दी अनुमानित मूल्य 19,88,250/- रु. एवं एक मंजिला पक्का मकान अनुमानित मूल्य 16,26,750/- रु. कुल योग 36,15,000/- रु. एवं मंदिर की अन्य संपत्ति.

हस्ता./-

कलेक्टर एवं पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2004

क्रमांक/क /अ. वि. अ. ट्रस्ट 04.— चूंकि श्रीमती सूरजदेवी गुलाबचन्द मुणोत चेरिटेबल एवं वेलफेयर ट्रस्ट रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1961 (27 जून 1961) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है.

अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 7-8-2004 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के 30 दिवस के भीतर में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें. और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेंट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किए गए आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्रीमती सूरजदेवी गुलाबचन्द मुणोत चेरिटेबल एवं वेलफेयर ट्रस्ट रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	12,990=00 खाता नं. 978 में जमा राशि (बारह हजार नौ सौ नब्बे रुपये मात्र).
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

के. के. बक्शी,

पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास जांजगीर, जांजगीर-चांपा

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

[छ.ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1)के द्वारा]

जांजगीर, दिनांक 28 जनवरी 2005

क्रमांक 327/अ.वि.अ./05.— लोक न्यासों के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा के समक्ष प्रबंधक महामाया देवी मंदिर चेरिटेबल न्यास.

यत: कि तपोसिंह चंदेल पुत्र श्री रणवीर सिंह, साकिन हरदी (महामाया) तहसील जांजगीर ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र 14-03-05 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता : प्रबंधक महामाया देवी मंदिर चेरीटेबल न्यास साकिन हरदी (महामाया) तह. जांजगीर.

(2) अचल संपत्ति : ग्राम हरदी (महामाया) ख. नं. 1276 रकबा 0.07 ए.

आर. एक्का,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.